



विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय

जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर (राज.)

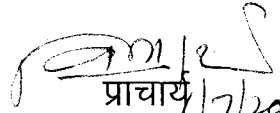
दूरभाष : 0141.2710565, 0141.2703655

URCJ/Stone/2024/702 कैंटीन, वाहन पार्किंग ठेका हेतु निविदा

विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय में कैंटीन एवं वाहन पार्किंग के संचालन हेतु मोहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र महाविद्यालय कार्यालय से कार्यालय समय में दिनांक 09.07.2024 से 16.07.2024 तक 500/- की रसीद कटवा कर प्राप्त किया जा सकता है एवं निविदाएं जमा करवाने की अंतिम तिथि दिनांक 18.07.2024 समय दोपहर 1.00 बजे तक है। निविदा देने एवं प्राप्त करने दिनांक समय एवं शर्तें आदि संपूर्ण विवरण की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.uniraj.ac.in एवं <http://sppp.raj.nic.in> पर उपलब्ध है।

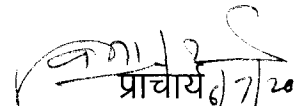
NTB : URA 2425A 0017

UBN : UBN : URA 2425SS 0B 0041, 42


प्राचार्य 6/7/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
URCJ/Stone/2024/703-708

1. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
2. निदेशक-इंफोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
3. निदेशक-कम्प्यूटर सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
4. उपकुलसचिव, सामान्य प्रशासन, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर


प्राचार्य 6/7/2024



विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय

जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर (राज.)

दूरभाष : 0141.2710565, 0141.2703655

पत्रांक: यूआरसीजे / स्टोर / 2024 / 714

दिनांक...8/7/2024

निविदा सूचना

राजस्थान महाविद्यालय में जलपान गृह (कैन्टीन) हेतु मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। इस हेतु निविदा पत्र महाविद्यालय स्टोर से आवश्यक शुल्क (500/- रुपये प्रति निविदा प्रपत्र) जमा करवाकर दिनांक 09.07.2024 से दिनांक 16.07.2024 तक प्राप्त कर सकते हैं।

इच्छुक फर्म/व्यक्ति दिनांक 18.07.2024 दोपहर 1.00 बजे तक निविदा प्रपत्र निम्नानुसार अग्रिम धरोहर/अमानत राशि के बैंक ड्राफ्ट जो प्राचार्य, राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर के नाम से महाविद्यालय स्टोर अनुभाग (कक्ष संख्या-07) में प्रस्तुत कर सकते हैं। अपूर्ण अथवा बिना धरोहर/अमानत राशि के प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा :-

क्रम सं.	टेण्डर का विवरण	टेण्डर की अनुमानित राशि (Estimated Cost of Tender)	धरोहर/अमानत राशि (Earnest/Security Money)
1.	जलपान गृह (कैन्टीन) संचालन का ठेका	रु. 36,000/- (न्यूनतम) + जी.एस.टी.	रु. 720/-(EMD)

1. इच्छुक व्यक्ति/फर्म उक्त कार्य हेतु टेण्डर प्रपत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित तिथि व समय में महाविद्यालय रोकड़ शाखा (कक्ष संख्या-13) से निविदा प्रपत्र शुल्क राशि जमा कराने के उपरान्त टेण्डर फार्म प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबन्द लिफाफे में भरकर निर्धारित समय में महाविद्यालय स्टोर (कक्ष संख्या-07) में जमा कराएँ।
2. टेण्डर फॉर्म जारी होने की तिथि : दिनांक 09.07.2024
3. टेण्डर फॉर्म एवं शर्तें प्राप्त करने की तिथि : दिनांक 09.07.2024 से दिनांक 16.07.2024 तक
4. टेण्डर फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि : दिनांक 18.07.2024 दोपहर 1.00 बजे तक
5. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि : दिनांक 19.07.2024 दोपहर 3.00 बजे
6. वित्तीय निविदा खोलने की तिथि : दिनांक 22.07.2024 दोपहर 3.00 बजे
7. टेण्डर/कोटेशन खोलने का स्थान : राजस्थान महाविद्यालय (कक्ष संख्या-15)

प्राचार्य
6/7/2024
Sd/-



मूल्य 500/-
रसीद सं.
दिनांक

विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय
जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302004 (राज.)

महाविद्यालय में कैंन्टीन संचालन का ठेका आवंटन सम्बन्धी
तकनीकी निविदा-प्रपत्र सत्र 2024-25

नवीनतम
पासपोर्ट
साइज फोटो

1. निविदादाता का नाम:
2. पिता का नाम:
3. निवास का स्थायी पता
एवं दूरभाष नम्बर :
(राशन कार्ड/निवास प्रमाण पत्र/मतदाता परिचय पत्र/आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें)
4. पत्र व्यवहार का पता
.....
.....
5. शैक्षणिक योग्यता
(प्रमाण पत्र सहित).....
6. अमानत राशि (बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक का विवरण)
7. जलपान गृह व समान कार्य अनुभव (सप्रमाण)
(यदि कोई हो तो)
8. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन/पेन नम्बर
9. जी.एस.टी./बिक्री कर पंजीयन एवं चुकता प्रमाण पत्र (प्रति संलग्न करें)
10. प्रथम श्रेणी दण्डनायक एवं संबंधित पुलिस थाना से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र कि आवेदक सच्चरित्र है और किसी न्यायालय द्वारा न तो अभियोगी व अपराधी घोषित है एवं न ही किसी प्रकार के आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित है/रहा है।

निविदा प्रपत्र/टेण्डर फार्म महाविद्यालय रोकड़ शाखा से 500/- रु. नकद जमा कराकर प्राप्त करें।

निविदा प्रपत्र/टेण्डर फार्म भरकर जमा

कराने की अन्तिम तिथि	:	दिनांक 18.07.2024 दोपहर 1.00 बजे तक
तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	:	दिनांक 19.07.2024 दोपहर 3.00 बजे
वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	:	दिनांक 22.07.2024 दोपहर 3.00 बजे
टेण्डर/कोटेशन खोलने का स्थान	:	राजस्थान महाविद्यालय (कक्ष संख्या-15)

न्यूनतम वार्षिक किराया राशि : 36,000/-रुपये (नियमानुसार कर अतिरिक्त)

स्थान :

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं
फर्म का नाम मय सील

Handwritten signature and stamp

विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर

जलपान गृह (Canteen) संचालन हेतु

वित्तीय निविदा

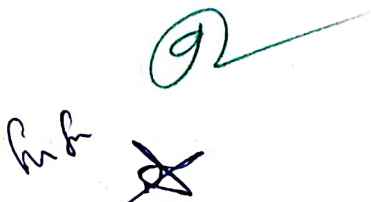
मैं जलपान गृह (Canteen) निविदा पत्र वर्ष 2024-25 में जलपान गृह (Canteen) में निम्नलिखित खाद्य सामग्री उनके सामने अंकित दरों पर विक्रय करने की व्यवस्था करूंगा।

क्र. सं.	सामग्री	नाप/तौल	दर
1.	चाय (साधारण)	100 एम.एल. स्टैण्डर्ड कप में	रु. 06.00
2.	कॉफी	100 एम.एल. स्टैण्डर्ड कप में	रु. 10.00
3.	कचौरी (दाल)	100 ग्राम (मीठी/हरी चटनी के साथ)	रु. 12.00
4.	कचौरी (प्याज)	125 ग्राम (मीठी/हरी चटनी के साथ)	रु. 14.00
5.	कोपता	100 ग्राम (मीठी/हरी चटनी के साथ)	रु. 12.00
6.	समोसा	100 ग्राम (मीठी/हरी चटनी के साथ)	रु. 12.00
7.	ब्रेड पकोड़ा	100 ग्राम (मीठी/हरी चटनी के साथ)	रु. 15.00
8.	पकोड़ी प्लेट	100 ग्राम (मीठी/हरी चटनी के साथ)	रु. 15.00
9.	बिस्किट		बाजार दर
10.	खमन-डोकला	01 पीस (स्टैण्डर्ड साईज में)	रु. 15.00
11.	ठण्डा पेय पदार्थ		बाजार दर
12.	पैटीज		बाजार दर
13.	पैस्ट्री		बाजार दर
14.	मिष्ठान (मिठाई)		बाजार दर
15.	सरस डेयरी उत्पाद		सरस डेयरी दर पर
16.	चपाती (चार नग) एवं दाल प्लेट		बाजार दर
17.	पूड़ी (08 नग) मय सब्जी, अचार		बाजार दर
18.	चावल (प्रति प्लेट) मय दाल		बाजार दर
19.	अन्य सामग्री	आवश्यकतानुसार	बाजार दर

मैं (फर्म/व्यक्ति का नाम)
 राजस्थान महाविद्यालय में जलपान गृह (केन्टीन) संचालन के लिए लेना चाहता हूँ, जिसकी एकमुश्त वार्षिक किराया राशि रु..... (अक्षरे रुपये)
 नियमानुसार कर अतिरिक्त (जी.एस.टी. सहित) जमा करवाता रहूंगा। मैं महाविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई दरों तथा सभी प्रकार की शर्तें व समय-समय पर जारी होने वाले निर्देशों का बिना किसी आपत्ति के पूर्ण रूप से पालन करूंगा।

नोट : न्यूनतम वार्षिक किराया राशि 36,000/-रुपये (कर अतिरिक्त)

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं
 फर्म का नाम मय सील

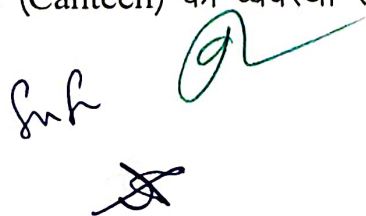


विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर जलपान गृह (Canteen) संचालन हेतु नियम व शर्तें

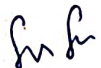
1. निविदाकार को अमानत/धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट 'प्राचार्य, राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर' के नाम से देय होगा जिसके अभाव में निविदा पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा :-
(अ) महाविद्यालय में जलपान गृह (केन्टीन) हेतु आवश्यक धरोहर/ अमानत राशि - 720/-
(ब) निविदा प्रपत्र रोकड़ शाखा में 500/- रु. नकद जमा करवाकर प्राप्त कर सकते हैं एवं दिनांक 18.07.2024 तक दोपहर 01.00 बजे तक महाविद्यालय के स्टोर अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में जमा कराये जा सकते हैं तथा दिनांक 19.07.2024 को तकनीकी निविदा दोपहर 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। अपूर्ण अथवा अमानत राशि के अभाव में निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा।
2. संवेदक/फर्म को निर्धारित वार्षिक किराये की सम्पूर्ण देय राशि आदेश जारी होने की दिनांक से आगामी 01 माह के अंदर आवश्यक रूप से महाविद्यालय रोकड़ शाखा में जमा करवानी होगी। किराया राशि निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने पर रु. 1000/- प्रतिमाह दण्ड के रूप में जुर्माना वसूल किया जायेगा एवं 02 माह के अंदर किराया जमा नहीं कराने पर ठेका स्वतः ही रद्द हो जायेगा।
3. संवेदक/फर्म को बिजली की सुविधा विश्वविद्यालय के नियमानुसार द्वारा देय होगी तथा फर्नीचर की व्यवस्था महाविद्यालय के द्वारा दी जायेगी।
4. जलपान गृह (केन्टीन) का अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा जिसे संवेदक/फर्म के संतोषजनक सम्पादन के आधार पर एक वर्ष पश्चात् आगे एक वर्ष के लिए निर्धारित किराया राशि में 10% वृद्धि करते हुए पुनः बढ़ाया जा सकेगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें संवेदक/फर्म को मंजूर होगी तभी यह अवधि बढ़ाई जा सकेगी तथा अधिकतम ठेका अवधि 02 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
5. महाविद्यालय द्वारा गठित समिति सभी प्राप्त निविदाओं का परीक्षण कर विचार करेंगी एवं किसी एक संतोषजनक निविदाकार को ठेका प्रदान करेगी। समिति/महाविद्यालय प्रशासन को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी एक या सभी निविदाओं को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर दे।
6. ठेकेदार केवल महाविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा अनुमोदित वस्तुएँ एवं खाद्य पदार्थ/सामग्री ही रखेगा एवं महाविद्यालय द्वारा निर्धारित दर पर ही बेचेगा तथा किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का विक्रय अथवा भण्डारण नहीं करेगा।
7. सामान सप्लाई की दरें कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भरकर देनी होंगी।
8. ठेकेदार समय-समय पर विशेष बैठकों, बड़े आयोजनों एवं समारोह पर निर्धारित मूल्यों में 10 प्रतिशत की कटौती भी प्रदान करेगा एवं कभी भी निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य पर कोई सामान नहीं बेचेगा।
9. सफल निविदाकार द्वारा निविदा हेतु जमा कराई गई धरोहर/अमानत राशि महाविद्यालय द्वारा अमानत/धरोहर राशि के रूप में रखी जायेगी तथा निविदा देने संबंधी अनुज्ञापत्र विलेख (License Deed) लिखने का सम्पूर्ण व्यय संवेदक/फर्म द्वारा वहन किया जाएगा। निविदा की किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर संवेदक/फर्म की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।



10. निविदाकार को अमानत राशि का डिमांड ड्रॉपट तथा आयकर अथवा पैन नम्बर, तथा संबंधित पुलिस थाना से प्राप्त आवेदक का एवं सच्चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, जिनके अभाव में निविदा पर विचार नहीं जावेगा।
11. महाविद्यालय में जलपान गृह (Canteen) के ठेकेदार द्वारा सुचारु रूप से संचालन नहीं करने पर ठेका/अनुबंध बीच में ही रद्द कर दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी तथा संवेदक को ब्लैक लिस्ट (Black List) कर दिया जायेगा।
12. विक्रय किये जाने वाले खाद्य/पेय पदार्थ उच्च गुणवत्ता के ही विक्रय करने होंगे जिनके सेम्पलिंग की व्यवस्था पर होने वाले व्यय संचालक/संवेदक को ही वहन करने होंगे। उच्च गुणवत्ता न होने पर महाविद्यालय के द्वारा ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
13. महाविद्यालय द्वारा नामांकित कोई भी अधिकारी किसी भी समय जलपान गृह (Canteen) का निरीक्षण कर सकता है जिसके लिए संवेदक/फर्म को कोई आपत्ति नहीं होगी।
14. विक्रय की जाने वाले प्रत्येक वस्तु की दरें स्पष्ट रूप से अंकित कर मूल्य की सूची बोर्ड पर ऐसे स्थान पर सूचना पट्ट पर दर्शाना होगा जिसे आम व्यक्ति भी सरलता से पठन कर, समझ सके।
15. संवेदक/फर्म जलपान गृह (Canteen) या इसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति, संस्था या व्यवसायी को किसी राजीनामों के तहत व्यवसाय करने हेतु उसे किराए पर (सबलेट) नहीं करेगा।
16. ठेका निस्तारण की गठित समिति द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन संवेदक/फर्म द्वारा किया जायेगा।
17. गठित समिति द्वारा निर्देशित सभी वस्तुएँ, खाद्य पदार्थ एवं फर्नीचर स्वयं संवेदक/फर्म द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।
18. संवेदक/फर्म जलपान गृह (Canteen) सुचारु रूप से संचालन हेतु योग्य, कुशल एवं अनुभवी कार्मिकों की नियुक्ति करेगा जिसके कार्य, व्यवहार, चरित्र आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक/फर्म की होगी। कार्मिकों के बारे में सभी आवश्यक सूचनाएँ संवेदक/फर्म द्वारा रखी जाएँगी। बाल श्रमिक किसी भी स्थिति में नहीं रखे जायेंगे। नियुक्त कार्मिक संवेदक/फर्म द्वारा बनायी गयी महाविद्यालय द्वारा निर्धारित विशेष प्रकार की वेशभूषा में स्वच्छ तरीके से रहेंगे। संवेदक को व्यवसाय सम्बन्धी समस्त श्रम कानूनों/नियमों श्रमिकों के संबंधी कानून/नियमों की पालना करनी होगी।
19. संवेदक/फर्म द्वारा कोई ऐसा कार्य या चूक नहीं की जायेगी जिससे महाविद्यालय को कोई क्षति/नुकसान पहुँचे।
20. संवेदक/फर्म द्वारा बिना सक्षम आदेश/महाविद्यालय की अनुमति के जलपान गृह (Canteen) में कोई निर्माण एवं सुधार नहीं किया जा सकेगा।
21. अनुबंध अवधि पूर्ण होने अथवा बढ़ाई गई अवधि से पूर्व यदि कोई भी पक्षकार अनुबंध से उन्मुक्त होना चाहेगा तो यह आवश्यक होगा कि वह दूसरे पक्षकार को अनुबंध उन्मुक्त होने की दिनांक से एक माह पूर्व लिखित में नोटिस दे।
22. ठेके की निर्धारित अवधि में किसी भी वस्तु की दरें बढ़ाने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी।
23. ठेके की मियाद में सामान की किस्म, गुणवत्ता, वजन व आकार में कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा।
24. संवेदक को एक शिकायत पुस्तिका उपयुक्त स्थान पर रखनी होगी ताकि किसी भी व्यक्ति को जलपान गृह (Canteen) की व्यवस्था संबंधी कोई शिकायत हो तो वह उसमें अंकित कर सके।



25. जलपान गृह (Canteen) को कार्यालय समय से एक घण्टा पूर्व और एक घण्टा बाद तक खुला रखना होगा। विशेष समारोह/अवसरों पर इस अवधि में महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी।
26. महाविद्यालय द्वारा आयोजित बैठकों में आदेश दिये जाने पर जलपान एवं अन्य सामान की सप्लाई की व्यवस्था निश्चित समय पर संवेदक/फर्म को करनी होगी।
27. विश्वविद्यालय की सभी प्रकार की बैठकों में पेय पदार्थ अच्छी किस्म की साफ-सुथरी क्रोकरी में नियमित रूप से आवश्यकतानुसार सप्लाई करनी होगी। संचालक द्वारा प्लास्टिक के कप व प्लेटों का उपयोग/सप्लाई नहीं करेंगे अर्थात् पूर्णतः पाबन्दी रहेगी।
28. जलपान गृह (Canteen) में सभी स्वीकृत वस्तुएँ उपलब्ध करानी होगी तथा कोई अन्य वस्तु महाविद्यालय की अनुमति के बिना नहीं रखी जावेगी। यदि महाविद्यालय की बिना अनुमति के प्रबंधक/संचालक अनाधिकृत सामान सप्लाई करते पाया व देखा गया तो संवेदक/फर्म के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सकती है और ठेका भी रद्द किया जा सकता है।
29. जलपान गृह (Canteen) में बैठने एवं सफाई की समुचित व्यवस्था पर संचालक को आवश्यक रूप से विशेष ध्यान देना होगा। सफाई व्यवस्था पर होने वाला व्यय प्रबंधक/संचालक द्वारा वहन किया जायेगा। सूखे व गीले कचरें हेतु अलग-अलग दो कचरा-पात्र ढक्कन सहित केन्द्र पर रखने होंगे तथा इसे नगर निगम द्वारा चिन्हित स्थानों पर डलवाना होगा।
30. जलपान गृह (Canteen) में विक्रय होने वाले सीलबन्द पेय पदार्थों तथा अन्य खाद्य/पेय पदार्थों डिस्पोजल ग्लास/प्लेट में सप्लाई करने की व्यवस्था संचालक को करनी होगी एवं डिस्पोजल ग्लास/प्लेट से उत्पन्न कचरों के निस्तारण की व्यवस्था संचालक को ही करनी होगी।
31. जलपान गृह (Canteen) के संचालक द्वारा केन्टीन में विक्रय खाद्य/पेय पदार्थों का मूल्य निर्धारित दर से अधिक वसूल करते पाये जाने पर प्रथम बार 500/- रु. एवं बार-बार पुनरावृत्ति करने की स्थिति में 1000/- रु. प्रति पुनरावृत्ति की जुर्माना राशि करने एवं वसूलने का अधिकार महाविद्यालय प्रशासन को होगा। महाविद्यालय द्वारा ठेका निरस्त भी किया जा सकेगा।
32. निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था/कचरे के निस्तारण में कमी पाई जाने पर अथवा जलपान गृह (Canteen) के इर्द-गिर्द गंदगी पाये जाने पर महाविद्यालय प्रशासन को निरीक्षण के दौरान मौके पर ही प्रथमवार 200/- रु. जुर्माना राशि एवं तत्पश्चात 500/- रु. की जुर्माना राशि आरोपित एवं वसूल करने का अधिकार होगा एवं बार-बार पुनरावृत्ति पाये जाने की स्थिति में केन्द्रीय जलपान गृह (Canteen) का ठेका रद्द कर दिया जावेगा।
33. निविदाकार/ठेकेदार को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों व दरों पर ही कार्य करना होगा, अन्य किसी प्रकार की शर्तें स्वीकार नहीं होगी।
34. निविदाकार एवं महाविद्यालय प्रशासन के बीच किसी भी विवाद पर निर्णय का अन्तिम अधिकार प्राचार्य, राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर को होगा एवं इसका निर्णय निर्विवाद रूप से दोनों पक्षों को मान्य होगा एवं समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा।
35. संवेदक/फर्म द्वारा अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात केन्टीन को खाली नहीं किये जाने की स्थिति में संवेदक/फर्म से प्रतिमाह न्यूनतम किराये की राशि के तिगुने के बराबर राशि दण्ड स्वरूप वसूल किये जायेगे एवं अवधि समाप्ति पर केन्टीन को खाली नहीं करने की अवस्था में पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी। महाविद्यालय द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में ही अनुमति दी जा सकेगी।






36. निविदादाता को कब्जा मिलने के आगामी 07 दिवस के भीतर कार्य संचालन करना होगा वरना आवंटन रद्द करके धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
37. सफल निविदादाता को रु. 100/- के स्टाम्प पेपर में महाविद्यालय के साथ अनुबंध पत्र करना होगा, अनुबंध के बाद ही आवंटन आदेश जारी किया जायेगा।
38. जी.एस.टी. या सरकार की अन्य देयताओं के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
39. जलपान गृह में किसी भी टूट-फूट, नुकसान आदि की क्षतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जायेगी। क्षतिपूर्ति की राशि के निर्धारण का अधिकार प्राचार्य को होगा जो अन्तिम एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
40. संवेदक द्वारा खाद्य पदार्थों में प्रयोग ली जाने वाली सामग्री एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा प्रमाणित होनी आवश्यक हैं।
41. संवेदक द्वारा बची हुई/बासी सामग्री का अगले दिन विक्रय नहीं किया जायेगा।
42. यदि इस समझौते के संबंध में कोई अंतर उत्पन्न होता है तो उसके भुगतान पर उसकी व्याख्या को गलत समझा जाएगा जिसे आपसी परामर्श और वार्ता द्वारा सुलझाया जाएगा। यदि 30 दिनों की अवधि के भीतर सुलह के प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकलता है तो दोनों पक्ष किसी अन्य पक्ष के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकारण द्वारा निर्णय प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। जिसमें एक मध्यस्थ पंचाट द्वारा नियुक्त किया जाना है। मध्यस्थता की कार्यवाही राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर में होगी। पंचाट और सुलह किराया अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होंगे।
43. मुझे उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 42 तक की शर्तें स्वीकार हैं।

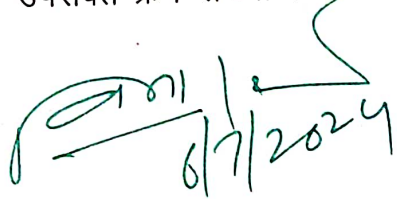

6/7/2024





निविदादाता के हस्ताक्षर एवं
फर्म का नाम मय सील

36. निविदादाता को कब्जा मिलने के आगामी 07 दिवस के भीतर कार्य संचालन करना होगा वरना आवंटन रद्द करके धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
37. सफल निविदादाता को रु. 100/- के स्टाम्प पेपर में महाविद्यालय के साथ अनुबंध पत्र करना होगा, अनुबंध के बाद ही आवंटन आदेश जारी किया जायेगा।
38. जी.एस.टी. या सरकार की अन्य देयताओं के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
39. जलपान गृह में किसी भी टूट-फूट, नुकसान आदि की क्षतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जायेगी। क्षतिपूर्ति की राशि के निर्धारण का अधिकार प्राचार्य को होगा जो अन्तिम एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
40. संवेदक द्वारा खाद्य पदार्थों में प्रयोग ली जाने वाली सामग्री एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा प्रमाणित होनी आवश्यक हैं।
41. संवेदक द्वारा बची हुई/बासी सामग्री का अगले दिन विक्रय नहीं किया जायेगा।
42. यदि इस समझौते के संबंध में कोई अंतर उत्पन्न होता है तो उसके भुगतान पर उसकी व्याख्या को गलत समझा जाएगा जिसे आपसी परामर्श और वार्ता द्वारा सुलझाया जाएगा। यदि 30 दिनों की अवधि के भीतर सुलह के प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकलता है तो दोनों पक्ष किसी अन्य पक्ष के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकारण द्वारा निर्णय प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। जिसमें एक मध्यस्थ पंचाट द्वारा नियुक्त किया जाना है। मध्यस्थता की कार्यवाही राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर में होगी। पंचाट और सुलह किराया अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होंगे।
43. मुझे उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 42 तक की शर्तें स्वीकार हैं।


6/7/2024





निविदादाता के हस्ताक्षर एवं
फर्म का नाम मय सील